178

भारत कोर्ट फीस COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

मानननीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय,रेवेन्यु बोर्ड ऑफ ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू-रा/2017/2819 क. / निगरानी /2017

कलाबाई पति मांगीलालजी पाटीदार उम्र 42 साल धंधा खेती,

निवासी ग्राम करजू तह.दलोदा जिला मंदसौर म.प्र. ....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1.भेरूलाल पिता मोडजी उम्र 50 साल धंधा खेती

निवासी ग्राम करजू तह.दलोदा जिला मंदसौर म.प्र.

2.म.प्र.शासन

प्रार्थी अभिभाषक श्री दीपक कुमार
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 02-8-17 2.8.17
.................विपक्षी अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

निगरानी तहत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सहिता 1959.
बनाराजी प्र.क.34अ 12/16--17 में पारित आदेश दिनांक 19.6.2017
न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत आकोदडा तहसील होदय दलोदा जिला मदसौर (म.प्र.)के द्वारा पारीत आदेश से असन्तुष्ट होकर निगरानी समयावधि में निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की और से निम्न निगरानी ज्ञाप पेष है।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि विपक्षी भेरूलाल ने एक आवेदन पत्र धारा 129 म.प्र.भु.रा.**संहिता** 1959 के तहत प्रस्तुत किया कि भुमि सर्वे नंबर 738/1 रकबा 0.208 आरी ग्राम करजू तह.दलोदा **का** सीमांकन किया जावे। जो अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय ने निगरानीकर्ता को कोई सूचना नही **दी ओर** मौके पर मकान बने हुए है और सीमांकन नही किया जा सकता है फिर भी राजस्व निरीक्षण ने **कोई सीमा**कन नही किया ओर दल गठित कर करने का हवाला देकर अवैध रूप से निगरानीकर्ता की पीठ पीछे **सीमांकन** बिना सुचना दिये कर दिया तथा अवेध पंचनामा निगरानीकर्ता को सूचना दिये बिना व उसकी **अनुपस्थि**ति में ओर कोई चतुसीमा का ज्ञान नही करवाया,तथा आवेदन सर्वे नंकबर 738/1 का दिया गया **होना** बतया और सीमांकन सर्वे नंबर 738 की दक्षिणी पश्चिमी पर स्थित चांदा पंत्थर से सर्वे नंबर 738 **की** दक्षिणी सीमा की लम्बाई 1 जरीब 80 कडी है अवैध रूप से लिख दिया और जिसमे निगरानीकर्ता का **मकान** की बाउण्डीवाल आती है ऐसा असत्य पंचनामा बनाकर विवाद पैदा कर दिया है जो सीमांकन **अवेध रूप से** निगरानीकर्ता के पीछकर सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा बना दिया है जो निरस्त किया जाने योग्य **है तथा** मोके पर मकान बने हुए होने से सीमांकन नही किया जा सकता है तथा जरीब भी लम्बी नही **की जा** सकती है और कोई चांदा पत्थर परं मौके पर नही है,केवल कयासों के आधार पर व काल्पनिक **तौर पर** सीमांकन कर दिया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है, इन कारणो के अलावा निम्न आधार पर **यह निगरानी** ज्ञाप पेश है।

// निगरानी के कारण //

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक महोदय,वृत आको**दडा** तह. दलोदा के द्वारा पारीत आदेश दिनांक 19.6.2017 का विधि एवं प्रकिया के विपरीतहोने से प्रथम **दृष्टिया** निरस्तकिया जाने योग्य है।

2. यह कि,अधिनस्थ न्यायालय ने चांदा पत्थर नही होते हुए भी **चांदा पत्थर** का उल्लेख पंचनामा में

(178)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2819

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमावत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	